05 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना

5.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

5.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

5.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना है। महिलाओं एवं उनके संस्थाओं को व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना, प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियोजन एवं स्वनियोजन योग्य बनाना, उत्पादक गतिविधियों में प्रोत्साहन करना है। महिला प्रक्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना तथा जेण्डर से संबंधित आँकडों का संग्रह, विश्लेषण तथा प्रचार–प्रसार करना, जेण्डर संवेदीकरण, जेण्डर बजटिंग आदि में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, राज्य में महिलाओं के अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु प्रयास करना तथा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।

2. छत्र–योजना विवरणी

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी:

2.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :

इसके अन्तर्गत बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान, बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 तथा उत्तर रक्षा गृह समाहित होंगे। इसके तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी कार्य समेकित हैं। साथ ही महिलाओं से संबंधित सूचनाओं का संग्रह, संग्रहण, प्रकाशन तथा प्रसारण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र / जेण्डर रिर्सोस सेन्टर संचालित है।

2.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है।

Scanned by CarbonScanner

2.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन :

इसके अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, उज्ज्वला, स्टेप (Support to training and employment programme for women), महिला शक्ति केन्द्र तथा 24x7 महिला हेल्पलाईन 181 समाहित होंगे। इसके तहत भारत सरकार द्वारा संचालित महिलाओं से संबंधित योजनाओं यथा वन स्टॉप सेन्टर, महिला हेल्पलाईन 181, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, पूर्ण शक्ति केन्द्र आदि को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।

3. निधि का संवितरण

इस छत्र योजना के तहत स्वाधार गृह, महिला शक्ति केन्द्र तथा एन.एम.ई.डब्ल्यु. अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। वन स्टॉप सेन्टर एवं महिला हेल्पलाईन के लिये राशि का प्रावधान शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा तथा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए शत–प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। स्टेप योजना अन्तर्गत ग्राण्ट की राशि कार्यरत स्वयंसेवी संस्था को सीधे केन्द्र सरकार द्वारा दी जायेगी। उज्ज्वला योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्था के बीच निधि का संवितरण 60:30:10 के अनुपात में होगा।

4. देय राशि/सेवायें

इस छत्र योजना अन्तर्गत देय राशि / सेवाएँ निम्नवत प्रदान की जायेगी:

4.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

इसके तहत महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला हेल्पलाईन, अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, शिशु पालना गृह; सांस्कृतिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन तथा स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार की योजना तथा आर्थिक सशक्तिकरण अन्तर्गत महिलाओं को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रशिक्षण तथा नियोजन अथवा स्वरोजगार से जुड़ाव; सेवा प्रक्षेत्र के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य अनुसंधान तथा उनके विकास एवं सशक्तिकरण के संबंध में नये विचार हेतु नवाचारी योजना को प्रोत्साहित करना है।

4.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना अन्तर्गत कन्या के विवाह के समय रू. 5,000 का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जायेगा।

4.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन

भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और सेवाओं से संबंधित सूचना एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। साथ ही हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय, विधिक, परामर्शी एवं अस्थायी आश्रय हेतु वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह तथा महिला हिंसा की स्थिति में त्वरित सहयोग करने तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24x7 महिला हेल्पलाईन 181 कार्यरत है। महिला शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत कौशल विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण के अवसरों के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। उज्ज्वला योजना के तहत पीड़ित / संभावित पीड़ित महिलाएँ / बच्चों का बचाव एवं पुनर्वास किया जाता है। स्टेप योजना अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। स्वाधार गृह योजना अन्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ एक वर्ष तक रह सकती हैं। अन्य श्रेणी की महिलाएँ अधिकतम तीन वर्ष तथा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को अधिकतम 5 वर्ष तक रखा जा सकता है, तत्पश्चात इन्हें वृद्धाश्रम या समतुल्य संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

5. पात्रता

इस छत्र योजना के अन्तर्गत देय सेवाओं के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्था की न्यूनतम अर्हता समय–समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा, साथ ही विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होंगी :

5.1 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत किशोरियाँ एवं महिलाएँ पात्र होंगी।

5.2 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय रू. 60,000 से कम हो, की 18 वर्ष से अन्यून विवाहित कन्याएँ होंगी जिनका विवाह निबंधन हो चुका हो।

5.3 नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंतर्गत वैसी सभी महिलाएँ पात्र होंगी, जो घरेलु हिंसा, मानव पणन, प्राकृतिक आपदा के पश्चात बेघर हुई, जेल से रिहा की गयी महिलाएँ जिनका कोई परिवार न हो, महिलाओं के अवैध व्यापार/वेश्यालयों से छुड़ाई गयी हो या पीड़ित होने की सम्भावना हो या बचकर भागी हुई बालिका, एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित सामाजिक या आर्थिक सहायता विहीन महिलाएँ तथा किसी प्रकार की हिंसा आदि से पीड़ित एवं प्रताड़ित हो। महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत कोई भी महिला इसकी पात्र होगी तथा स्टेप योजना अन्तर्गत 16 वर्ष से अधिक की महिलाएँ पात्र होंगी।

6. प्रक्रिया

6.1 आवेदन की प्रक्रिया :

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस. काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांचोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी पीड़ित महिला स्वयं एवं सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वन स्टॉप सेन्टर/स्वाधार गृह/महिला हेल्पलाईन/उत्तर रक्षा गृह तथा अन्य संचालित संस्थाओं में जाकर अपना निबंधन कराकर सेवा का लाभ ले सकती हैं।

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया :

योजनावार वितरण की प्रक्रिया निम्नवत है:

(i) **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :** इस योजना अन्तर्गत संचालित अल्पावास गृह, रक्षा गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, पालना गृह एवं अन्य कार्यरत संस्थाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुबंध की शर्तों के तहत राशि निर्गत की जाती है।

(ii) **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :** इस योजना अन्तर्गत धनराशि का वितरण राज्य स्तर से सक्षम डी.बी.टी. सेल के द्वारा विकसित किया गया ई–सुविधा पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभुक के बैंक खाता में किया जायेगा।

(iii) **नेशनल मिशन फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन:** इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा समाज कल्याण निदेशालय/आई.सी.डी.एस. के माध्यम से राशि महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना अन्तर्गत संचालित वन स्टॉप सेन्टर, स्वाधार गृह, महिला हेल्पलाईन 181 आदि योजनाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुबंध की शर्तों की तहत राशि निर्गत की जाती है।

Scanned by CarbonScanner

(iv) इस छत्र योजना अन्तर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक खाता हो सकेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में खोला जा सकेगा। धन राशि का वितरण Parent Child Account पद्धति के अनुसार Child Account से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र

विभिन्न संस्थाओं / सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से प्राप्त व्यय विवरणी सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा महालेखाकार को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण–पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जायेगा।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक / जिला बाल संरक्षण इकाई / जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम / विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए समेकित एम.आई.एस. प्रणाली के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय–समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय–सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस छत्र योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्याः– 03 / यो0–30 / 2017 / 28, पटना, दिनांकः 02 / 01 / 2019

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. महिला विकास निगम, बिहार

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम, बिहार का गठन किया गया है, जिसका निबंधन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 28 नवम्बर, 1991 को किया गया है। निगम समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत एक स्वायत्तशासी निकाय है। इसका सम्पूर्ण प्रबंधन सरकार द्वारा अधिसूचित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निगम के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव होते हैं तथा प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के सदस्य सचिव होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुपर टाइम स्केल की वरीय महिला पदाधिकारी को ही निगम की प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है।

2. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना राज्य के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु पूर्व से चली आ रही योजनाओं जिनके स्वरूप, दर आदि में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया है बल्कि मात्र योजना मद से राशि की निकासी की प्रक्रिया को अन्य योजनाओं के सदृश्य पेरेंट चाइल्ड अकाउंट से किया जाना है। इस छत्र योजना में पूर्व से संचालित योजनाएँ यथावत रहेंगी। योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु योजना के प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

3. उद्देश्य

इस छत्र योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करना है। महिलाओं एवं उनके संस्थाओं को व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना, प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियोजन एवं स्वनियोजन योग्य बनाना, उत्पादक गतिविधियों में प्रोत्साहन करना है। महिला प्रक्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना तथा जेंडर से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण तथा प्रचार–प्रसार करना, जेंडर संवेदीकरण, जेंडर बजटिंग आदि में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, राज्य में महिलाओं के अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु प्रयास करना तथा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण:

4. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना:

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.11.2007 को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण हेतु एक समेकित योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई जिसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के महत्वपूर्ण तीन घटक हैं:–

(क) सामाजिक सशक्तिकरण

(i) **महिला हेल्पलाईन :** जिला पदाधिकारी के नियंत्राधीन राज्य के सभी जिलों में भौतिक महिला हेल्पलाईन की स्थापना की गई है। महिला हेल्पलाईन में एक परियोजना प्रबंधक, दो परामर्शी, तीन वकील का पैनल, एक डाटा इंट्री आपरेटर को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

Scanned by CarbonScanner

उद्देश्य : समाज की पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को संरक्षण प्रदान करना, परामर्श के द्वारा परिवार टूटने से बचाना आदि।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा अथवा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित हो, महिला हेल्पलाईन में उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि जिला पदाधिकारी को निगम द्वारा भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : महिला हेल्पलाईन में परामर्श की सेवाएँ दी जाती हैं। कोई राशि देय नहीं है।

प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित महिला या किशोरी किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से या स्वयं महिला हेल्पलाईन जाकर मौखिक या सादे कागज पर आवेदन देकर हेल्पलाईन की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। इसकी सेवाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए हेल्पलाईन द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ii) अल्पावास गृह : पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को अल्पकाल तक आवासन के लिए राज्य के सभी जिलों में गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से पटना में 50 बेड एवं अन्य सभी जिलों में 25 बेड के अल्पावास गृह की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई है।

उद्देश्य : उत्पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से अनैतिक मानव पणन प्रतिषेध अधिनियम, 1986 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु अल्पावास गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पीड़ित महिला को अल्पकाल तक निवास की सुविधा एवं पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा, मानव पणन अथवा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित हो अथवा न्यायालय में अपनी पैरवी करने के दौरान अल्पकाल तक आवासन की आवश्यकता हो, अल्पावास गृह की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : इसमें अधिकतम छः माह तक आवासन की सुविधा दी जाती है। कोई राशि देय नहीं है।

प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित महिला, किशोरी किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से, स्वयं, पुलिस, न्यायालय आदि

Scanned by CarbonScanner

के माध्यम से अथवा महिला हेल्पलाईन की अनुशंसा पर अल्पावास गृह की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। इसकी सेवाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: गैर सरकारी संस्था द्वारा अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए अल्पावास गृह द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(iii) **रक्षा गृह :** अनैतिक मानव पणन अधिनियम, 1986 एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 50 बेड वाले रक्षा गृह की स्थापना राज्य की राजधानी, पटना में की गई है।

उद्देश्य : मानव पणन से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को प्रशिक्षण के उपरांत आय उत्पादक गतिविधियों से जोड़ कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनका पुनर्वसन करना।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी महिला / किशोरी जो मानव पणन एवं घरेलू हिंसा अथवा यौन हिंसा आदि से पीड़ित हो, रक्षा गृह में उपलब्ध सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

निधि का संवितरण: राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा गैर सरकारी संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : यहाँ पुनर्वास एवं आय उत्पादक प्रशिक्षण की सेवाएँ दी जाती है। कोई राशि देय नहीं है।

प्रक्रिया : मानव पणन, यौन हिंसा अथवा घरेलू हिंसा आदि से पीड़ित महिला या किशोरी किसी सेवा प्रदाता के माध्यम से या स्वयं महिला हेल्पलाईन जाकर मौखिक या सादे कागज पर आवेदन देकर हेल्पलाईन की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। रक्षा गृह की सेवाएँ महिला हेल्पलाईन, पुलिस अथवा न्यायालय की अनुशंसा पर प्राप्त की जा सकती है। इसकी सेवाएँ पूर्णतः निःशुल्क है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए रक्षा गृह द्वारा मासिक प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(iv) **कामकाजी महिला छात्रावास:** सरकारी एवं गैर सरकारी नियोजनों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा हो रही है। क्षेत्रीय स्तर पर आवासीय कमी के कारण महिलाओं को उन क्षेत्रों

Scanned by CarbonScanner

में अकेले रहने में असुरक्षा महसूस होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रमंडल मुख्यालयों में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है।

उद्देश्य : कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं किफायती आवासीय सुविधा मुहैया करना।

लाभार्थी/पात्रता : कामकाजी महिलाएँ जो अपने घर परिवार से दूर, किसी कार्यालय में कार्यरत हों, चाहे वे किसी अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा किसी कार्यालय में कार्यरत हों, जो विधवा या परित्यक्ता हों व किसी संस्था में नियोजित हों।

निधि का संवितरण: राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : कामकाजी महिलाओं को आवासन की सेवाएँ दी जाती है। आवास की सुविधा निःशुल्क किन्तु भोजन हेतु महिला को निर्धारित शुल्क देना होता है।

प्रक्रिया : कोई भी कामकाजी महिला या किशोरी स्वयं आवेदन देकर छात्रावास की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(v) **पालनाघर की स्थापना :** कामकाजी महिलाएँ जिन्हें अपनी कार्यावधि में 5 वर्ष तक अथवा उससे कम उम्र के बच्चे को कार्यस्थल पर रखने में असुविधा होती हो; जिनके परिवार में बच्चे की देखरेख करने वाला उनके सिवाय अन्य कोई नहीं हो; राज्य सरकार ने वैसे बच्चों के लिए राज्य में 100 पालनाघर की स्थापना करने का निर्णय लिया है तथा पालनाघर की प्रति इकाई में 10 बच्चे के लिए स्वादिष्ट एवं पौष्टिक अल्पाहार, अन्य उपकरणों की व्यवस्था रहेगी। खिलौने एवं खेलने के अन्य साधनों के साथ–साथ मनोरंजन का प्रावधान भी किया गया है। शिशु पालनाघर की स्थापना वैसे सरकारी संस्थानों यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में की जाएगी जिस संस्थान में महिलाएँ कार्यरत हों, उनके बच्चे की देखभाल के लिए संस्थान के प्रधान को ही उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। प्रत्येक संस्थान जिसमें 25 या इससे अधिक महिलाएँ नियोजित होंगी, में एक इकाई पालनाघर का संचालन किया जाएगा।

उद्देश्य : सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत महिलाओं को कार्य सम्पादन की सुविधा प्रदान करना।

लाभार्थी/पात्रता : कामकाजी महिलाएँ एवं उनके 05 वर्ष तक के बच्चे जिनकी माता सरकारी संस्थान में कार्यरत हों।

Scanned by CarbonScanner

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : 05 वर्ष के वैसे बच्चे जिनकी माता कामकाजी हों, उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ्य आवासन एवं खेलने के लिए सुविधाएँ/सेवाएँ देय हैं। राशि संचालक संस्था को निगम द्वारा देय है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा संपोषित है।

प्रक्रिया : सरकारी संस्थान जहाँ 25 महिलाएँ कार्यरत हो, और उनके 05 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों, संस्था प्रधान के माध्यम से पालना घर की सेवा के लिए आवेदन कर सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(vi) **सामाजिक जागरूकता :** ऐसा देखा जाता है कि सामान्यतया महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होती हैं। इसका मूल कारण अशिक्षा है। किन्तु अल्पावधि में अशिक्षा को मिटाना मुश्किल है। राज्य में पूर्व से ही महिलाओं के लिए कई अधिनियम/विधेयक बनाए गए हैं किन्तु महिलाओं की अनभिज्ञता के कारण इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप, इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। अपने परिवार एवं समाज में विभिन्न प्रकार का उत्पीड़न उन्हें सहना पड़ता है। महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नांकित हैं:–

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
- अनैतिक मानव पणन निवारण अधिनियम, 1986
- दहेज उन्मूलन अधिनियम, 1961
- डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक, 1999
- बालिका शिक्षा अधिनियम
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- भ्रूण हत्या अधिनियम

इसी परिप्रेक्ष्य में दहेज उत्पीड़न, मानव पणन, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, कार्यशाला के माध्यम से नारी अधिकार, उपेक्षित वर्ग की महिलाओं को देय सेवायें आदि पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर समाज में महिलाओं को जागरूक करने की दो प्रकार की योजना प्रस्तावित है।

I- **पारिवारिक विद्यालय :** पारिवारिक विद्यालय एक ऐसा केन्द्र होगा जिसके माध्यम से दम्पत्तियों को पारिवारिक सामंजस्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी चिन्हित मुद्दों पर प्रशिक्षण, परामर्श दिया जाएगा। इसके

Scanned by CarbonScanner

लिए 100 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति का चुनाव कर उन्हें पारिवारिक कॉउन्सेलर के रूप में चरणबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। आँगनबाड़ी केन्द्रों को इस कार्य के लिए मोडल केन्द्र बनाया जाएगा।

II- **जागरूकता अभियान** : कानून का व्यावहारिक ज्ञान प्रदर्शन करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव है। किन्नरों, भिखारियों एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के कलाकारों को प्रशिक्षित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अधिनियमों एवं विधेयकों में निहित तथ्यों को नाटक, नुक्कड़ नाटक, डॉक्युमेंटरी फिल्मों के द्वारा प्रचार–प्रसार कर जागरूकता अभियान चलाना।

उद्देश्य : महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विषयों, अधिनियमों और नियमों तथा सरकार की महिला उत्थान से संबंधित योजनाओं आदि का प्रचार–प्रसार।

लाभार्थी/पात्रता : समुदाय विशेषकर महिलाओं एवं किशोरियों हेतु जागरूकता अभियान को संचालित करने वाली संस्थाएँ आदि।

निधि का संवितरण : राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन, डॉक्युमेंटरी फिल्म का प्रदर्शन आदि। सामाजिक जागरुकता के लिए चयनित गैरसरकारी संस्था।

प्रक्रिया : किन्नरों, भिखारियों एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के कलाकारों को प्रशिक्षित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अधिनियमों एवं विधेयकों में निहित तथ्यों को नाटक, नुक्कड़ नाटक, डॉक्युमेंटरी फिल्मों के द्वारा प्रचार–प्रसार कर जागरूकता अभियान चलाना।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(vii) **सामाजिक पुनर्वास कोष** : इसका उपयोग महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास (चिकित्सकीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जिनको कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है।

आवश्यकता : पणन, घरेलू हिंसा आदि से संबंधित मामले काफी अधिक संख्या में हो रहे हैं। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावित सभी महिलाओं के पुनर्वास के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये महिलाएँ पुनः पूर्ववत परिस्थिति में वापस चली जाती हैं। ऐसी महिलाओं को पुनर्वासित करने के लिए सामाजिक पुनर्वास कोष की व्यवस्था की गई है। अवैध पणन को रोकने के संबंध में कई ऐसे अप्रत्याशित विकल्प की जरूरत होती है, जो सामान्यतः आंकलित नहीं होती है। वैसी स्थिति में यदि आकस्मिक निधि

Scanned by CarbonScanner

का प्रबंध नहीं हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, सरकार द्वारा सामाजिक पुनर्वास कोष का प्रबंध किया गया है।

उद्देश्य : अवैध मानव पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला का बचाव, सुरक्षा एवं अभियोजन के लिए सामाजिक पुनर्वास कोष का निर्माण करना। अवैध मानव पणन को रोकने के लिए आवश्यक निरोधात्मक कारवाई करना। अवैध पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए पुनर्वास हेतु परियोजना तैयार करना एवं उसका कार्यान्वयन करना। पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु छात्रवृति की व्यवस्था करना। पीड़ित महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

लाभार्थी/पात्रता : अनैतिक मानव पणन एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ एवं उनके बच्चे।

निधि का संवितरण: राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि: पुनर्वास की राशि परियोजना प्रबंधक या किसी अधिकृत समिति जिसका गठन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, अनुशंसा पर देय है। जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 6 हजार मात्र का भुगतान इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।

प्रक्रिया: पुनर्वास कोष की राशि प्राप्ति हेतु ऊपर वर्णित श्रेणी में आने वाली महिलाएँ एवं उनके बच्चे महिला हेल्पलाईन अथवा जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर प्राप्त कर सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: लगभग 70 प्रतिशत राशि के उपयोग के बाद अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ख) आर्थिक सशक्तिकरण :

(i) सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु प्रायः देखा जाता है कि उचित शैक्षणिक योग्यता होने के बाद भी महिलाओं की मेधा सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन में असफल होती हैं। अतः सरकार की सोच है कि अधिकांश महिलाओं एवं किशोरियों को सेवा प्रक्षेत्र में नियोजन योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाये। इसके लिए अनेक सेक्टर एवं ट्रेड को चिन्हित किया गया है। मसलन हाउस कीपिंग, मेडिकल ट्रांस्क्रिप्सन, ऑफिस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट आदि ।

उद्देश्य : महिलाओं एवं किशोरियों को सेवा में नियोजन के योग्य बनाना तथा नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराना।

लाभार्थी/पात्रता : शिक्षित किशोरी एवं महिलाएँ।

निधि का संवितरण: राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा संचालक संस्था को

Scanned by CarbonScanner

भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ / राशि : सेवा के विभिन्न सेक्टर एवं ट्रेड में सेवाप्रदाता संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

प्रक्रिया : न्यूनतम योग्यता रखने वाली किशोरियाँ एवं महिलाएँ प्रशिक्षण देने वाली चिन्हित संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर आवेदन देकर प्रशिक्षण प्राप्त कर नियोजन अथवा स्वनियोजन प्राप्त कर सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ii) **नवाचारी योजना :** महिला सशक्तिकरण की दिशा में नवाचारी प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता आधारित संघों एवं निबंधित गैर सरकारी संगठनों को नवाचार योजना की प्रस्तुति करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रायः देखा जाता है कि विशेष परिस्थितियाँ प्रकाश में आने पर किसी नयी योजना की कल्पना की जाती है, ताकि महिलाओं का अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से और अधिक सक्षम और सशक्त बनाया जा सके। अतः इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्ग की गरीब, प्रताड़ित एवं उद्यमी महिलाओं को उनके द्वारा किए गए नव प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना को नवाचारी योजना के नाम से जाना जाता है।

उद्देश्य : महिला स्वयं सहायता समूहों / सहकारिता आधारित महिला संगठनों एवं महिलाओं के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नवोन्मेष योजना के कार्यान्वयन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना।

लाभार्थी/पात्रता : स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ एवं गैरसरकारी संस्थाएँ जिनके पास अपनी कोई नवोन्मेष योजना हो।

निधि का संवितरण: राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राशि निगम द्वारा समूह, सहकारी समिति एवं गैर सरकारी संस्था को भुगतान किया जाता है। यह योजना शत–प्रतिशत राज्य संपोषित योजना है।

देय सेवाएँ/राशि : नवोन्मेष योजनाओं को आर्थिक सहयोग द्वारा बढ़ावा देना।

प्रक्रिया : नवोन्मेष योजना का विस्तृत प्रस्ताव निगम को समर्पित किया जाता है जिसकी समीक्षा के बाद निगम द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : अंकेक्षण प्रमाण–पत्र एवं प्रतिवेदन संचालक समूह / सहकारी समिति / गैर सरकारी संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाता है।

Scanned by CamScanner

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

(ग) सांस्कृतिक सशक्तिकरण :

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कला एवं संस्कृति एक महत्वपूर्ण पहलू है। सांस्कृतिक रूप से विकसित महिला से एक सशक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है। संस्कृति के संरक्षण तथा विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।

(i) **महिला सांस्कृतिक मेलों का आयोजन :** महिला सांस्कृतिक मेलों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के परंपरागत कौशल यथा लोक चित्रकला, लोक नाट्यकला, लोकगीत, सुगम संगीत आदि द्वारा उनके उद्योग, स्वयं सहायता समूह एवं उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों आदि का प्रदर्शन, बिक्री को बढ़ावा देना है। मेलों का आयोजन, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर किया जाता है।

(ii) **स्वयं सहायता समूह को नवाचारी कार्यों के लिए पुरस्कार योजना :** स्वयं सहायता समूह को नवाचारी योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक तथा प्रत्येक जिला स्तर पर तीन–तीन पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है। प्रखण्ड स्तरीय पुरस्कार 5,000 रुपया, जिला स्तरीय पुरस्कार 20,000, 15,000, 10,000 रुपये की होती है। इसके लिए राज्य स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जाता है।

उद्देश्य : महिलाओं, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री एवं प्रदर्शनी हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण, बिक्री को प्रोत्साहन आदि।

लाभार्थी/पात्रता : महिलाएँ, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ आदि।

निधि का संवितरण : सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले मेला, ट्रेड फेयर आदि में भागीदारी तथा मेला और प्रदर्शनी का आयोजन।

देय सेवाएँ / राशि : प्रदर्शनी का आयोजन एवं भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता।

प्रक्रिया : उत्पादक महिला समूह और सहकारी समितियाँ अपने उत्पादों के विवरण सहित सरस, ट्रेड फेयर, स्त्री शक्ति उत्सव आदि में भाग लेने का अनुरोध–पत्र निगम को दिया जाता है, जिसकी समीक्षा के उपरांत राशि का अनुमोदन निगम द्वारा किया जाता है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : निगम में इस कार्य हेतु पदस्थापित कर्मचारी / पदाधिकारी के द्वारा विपत्र के आलोक में राशि समायोजन हेतु उपयोगिता–पत्र तैयार किया जाता है और नियमानुसार जाँचोपरांत राशि का समायोजन निगम द्वारा किया जाता है।

अनुश्रवण : जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित

Scanned by CarbonScanner

किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

5. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना:

इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना का लाभ 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात सम्पन्न विवाह के लिए देय है। इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 (साठ हजार) से कम हो, की कन्या को विवाह के समय रू. 5,000 (पाँच हजार) का भुगतान कन्या के नाम से किया जाना है।

इस योजना के लाभ लेने हेतु पात्रता निम्न प्रकार है :

i. कन्या के माता या पिता बिहार का निवासी हो,

ii. विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो,

iii. पुनर्विवाह का मामला न हो, परन्तु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा। विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा,

iv. विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो,

v. दहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो।

बदलते परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सुचारू कार्यान्वयन तथा त्वरित भुगतान हेतु समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रिया को संपादित करने का निर्णय लिया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों का डाटा को अपडेट करते हुए उसे ई–सुविधा के पोर्टल पर संधारित किया जायेगा। आँकड़े / खाता की वैधता जाँच के पश्चात इसे सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजा जाएगा, जहाँ इसे क्रिज करने की प्रक्रिया संपादित की जायेगी। तत्पश्चात प्रखण्डवार पेमेंट फाईल तैयार किया जायेगा जिसे सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लॉक कर भुगतान हेतु प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

6. 181 टोल फ्री महिला हेल्पलाईन :

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता देने के लिए 181 टोल फ्री नंबर से 24x7 परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

उद्देश्य : हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 24x7 परामर्श दिया जाता है। संबंधित हितधारकों / सेवा प्रदाता को रेफरल सेवाओं हेतु रेफर किया जाता है। 181 महिला हेल्पलाईन में महिला हिंसा से जुड़े सभी मामले यथा घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज संबंधी, मानव पणन, मानसिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, छेडछाड़ इत्यादि से संबंधित मामले दर्ज किए जाते हैं। साथ ही महिलाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाती है।

लाभार्थी/पात्रता : कोई भी पीड़ित महिला, किशोरी, जिनको परामर्श अथवा जानकारी प्राप्त करनी हो।

निधि का संवितरण : शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एवं वित्तीय अनुदान से संचालित है।

Scanned by CarbonScanner

देय सेवाएँ/राशि : परामर्श एवं जानकारी देना।

प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित किसी भी समय इस सेवा के लिए कॉल कर सकती है और परामर्श एवं जानकारी प्राप्त कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : निगम द्वारा अंकेक्षण करा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

अनुश्रवण : नियमित अनुश्रवण महिला विकास निगम द्वारा किया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

7. वन स्टॉप सेंटर योजना :

महिलाओं एवं किशोरियों को परामर्श एवं अल्पकालीन आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में सात जिलों में इस योजना को शुरू किया गया है। शेष 31 जिलों में तृतीय चरण में शुरू किया जाना है।

उद्देश्य : हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को एक ही छत के नीचे परामर्श, आवासन, विधिक, पुलिस और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।

लाभार्थी/पात्रता : महिलाएँ एवं किशोरियाँ।

निधि का संवितरण: शत–प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राशि राज्य सरकार के माध्यम से महिला विकास निगम और जिला पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है।

देय सेवाएँ / राशि : एक ही छत के नीचे परामर्श, चिकित्सीय सुविधा, पुलिस की सहायता, विधिक सहयोग आदि प्रदान किया जाता है।

प्रक्रिया : हिंसा से पीड़ित अथवा मानव पणन की शिकार कोई महिला या किशोरी वन स्टॉप सेंटर में लिखित अथवा मौखिक आवेदन देकर वन स्टॉप सेंटर की सेवाएँ प्राप्त कर सकती है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : महिला विकास निगम अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

8. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :

यह योजना जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित है। इसकी राशि सीधे जिला

Scanned by CarbonScanner

पदाधिकारी को दी जाती है।

उद्देश्य : बाल लिंगानुपात में सुधार करना। बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

लाभार्थी/पात्रता : समुदाय एवं समाज।

निधि का संवितरण: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जिला पदाधिकारी को सीधे राशि प्रदान की जाती है।

देय सेवाएँ / राशि : प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूकता लाना।

प्रक्रिया : टास्क फोर्स का गठन एवं उसके माध्यम से जन–जागरूकता हेतु विविध गतिविधियाँ।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र : जिला पदाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

अनुश्रवण : जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए संचालक संस्था द्वारा मासिक प्रतिवेदन जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम को प्रेषित किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

9. महिला शक्ति केन्द्र योजना :

भारत सरकार की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी है। इस योजना में राज्य और केन्द्र सरकार की सहभागिता है।

उद्देश्य : इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सभी संकेंद्रित सहायक सेवाओं को एक केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाना है, इनमें कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल शिक्षा या साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसी सेवाएँ सम्मिलित हैं।

लाभार्थी/पात्रता : महिलाएँ एवं किशोरियाँ।

निधि का संवितरण : इसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है।

देय सेवाएँ/राशि : संकेन्द्रीय सहाय्य सेवाएँ एक ही केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रक्रिया : इच्छुक महिलाएँ एवं किशोरियाँ केन्द्र में आवेदन देकर इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र: निगम द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रेषित की जाती है।

अनुश्रवण: जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। समय–समय पर जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम द्वारा मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया जाता है। एम.आई.एस. भी विकसित किया गया है।

शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016 के तहत इससे संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम और प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार के कार्यालय में किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner